भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *202

जिसका उत्तर सोमवार, 4 अगस्त, 2025/13 श्रावण, 1947 (शक) को दिया गया

नाबार्ड द्वारा अवसंचनात्मक विकास परियोजनाओं के लिए निधियां

*202. श्री मड्डीला गुरूमूर्ति:
श्री सुनील बोसः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में विभिन्न श्रेणियों की अवसंरचना परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा आवंटित, स्वीकृत और जारी की गई निधियों का आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और बिहार सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या निधियों के आवंटन में वर्ष-दर-वर्ष कटौती की गई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान नाबार्ड द्वारा अन्य राज्यों की तुलना में आंध्र प्रदेश को कितनी सहायता दी गई है;

(घ) क्या आंध्र प्रदेश से कोई प्रस्ताव वर्तमान में सरकार/नाबार्ड के पास अनुमोदन अथवा निधि जारी किए जाने हेतु लंबित है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या नाबार्ड की सहायता से किसानों की ऋण तक पहुंच में सुधार हुआ है और अनौपचारिक ऋण पर निर्भरता कम हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) महत्वपूर्ण अवसंरचना विकास के लिए राज्यों को समान और समय पर निधियों का आबंटन सुनिश्चित करने हेतु नाबार्ड द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(छ) क्या नाबार्ड द्वारा किसान-उत्पादक संगठनों को सुदृढ़ करने के लिए नई पहल की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) से (छ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

"नाबार्ड द्वारा अवसंचनात्मक विकास परियोजनाओं के लिए निधियां" के संबंध में श्री मड्डीला गुरूमूर्ति और श्री सुनील बोस द्वारा पूछे गए दिनांक 4.8.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *202 के भाग (क) से (छ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): नाबार्ड विभिन्न निधियों, अर्थात्, ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ), नाबार्ड अवसंरचना विकास सहायता (एनआईडीए), राज्य सरकारों को ग्रामीण अवसंरचना सहायता (आरआईएएस), दीर्घावधिक सिंचाई निधि (एलटीआईएफ), सूक्ष्म सिंचाई निधि (एमआईएफ), खाद्य संसाधन (प्रोसेसिंग) निधि (एफपीएफ), वेयरहाउस अवसंरचना निधि (डब्ल्यूआईएफ) तथा मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि (एफआईडीएफ) के माध्यम से ग्रामीण अवसंरचना के सृजन के लिए राज्य सरकारों को ऋण सहायता प्रदान करता है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (पीएसएल) की कमी से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा आबंटित निधियों के आधार पर आरआईडीएफ के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार वार्षिक आबंटन किया जाता है। आरआईडीएफ के अलावा, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विभिन्न निधियों के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है और कोई वार्षिक आबंटन नहीं किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान नाबार्ड द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आरआईडीएफ के अंतर्गत आबंटित, स्वीकृत और जारी निधियों का ब्यौरा **अनुबंध I में** दिया गया है। अलग-अलग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आरआईडीएफ से इतर निधियों के अंतर्गत स्वीकृत एवं संवितरित राशि का ब्यौरा **अनुबंध II** में दिया गया है।

(ख): वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) में कमी वाली निधियों में कमी के परिणामस्वरूप राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आरआईडीएफ निधि आबंटन में तदन्तर कमी आई।

(ग) और (घ): पिछले तीन वर्ष के दौरान, आंध्र प्रदेश को आरआईडीएफ कॉर्पस से औसतन ~5% आवंटित किया गया है। नाबार्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, उपर्युक्त निधि के अधीन आंध्र प्रदेश का कोई प्रस्ताव वर्तमान में अनुमोदनार्थ लंबित नहीं है।

(ङ): उपर्युक्त निधियों के माध्यम से नाबार्ड की वित्तपोषण सहायता ग्रामीण अवसंरचना, जैसे सड़कों, सिंचाई और भंडारण सुविधाओं को बढ़ाती है, जिससे बेहतर बाजार पहुंच, उत्पादकता में वृद्धि सुनिश्चित होती है और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की पहुंच का विस्तार होता है। बदले में यह ग्रामीण उधारकर्ताओं की ऋण को प्रभावी ढंग से खपाने और उपयोग करने की क्षमता में सुधार करता है। नाबार्ड सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को रियायती दरों पर कृषि ऋण के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पुनर्वित्त भी प्रदान करता है। नाबार्ड अखिल भारत ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण (एनएफआइएस) 2021-22 के निष्कर्षों के अनुसार संस्थागत स्रोतों से ऋण प्राप्त करने वाले कृषि परिवारों का अनुपात 2016-17 में 60 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में 75 प्रतिशत हो गया।

सरकार ने किसानों को ऋण की सुलभता को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं जिनमें *अन्य, बातों के साथ-साथ,* किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना के अंतर्गत संपार्श्विक मुक्त ऋणों की सीमा को बढ़ाकर 2 लाख रुपये करना, केसीसी योजना के अंतर्गत पशुपालन और मत्स्यपालन जैसे संबद्ध क्षेत्रों को शामिल करना, संशोधित ब्याज सहायता योजना (एमआईएसएस) के अंतर्गत ब्याज सहायता (आईएस) और त्वरित पुनर्भुगतान पर प्रोत्साहन (पीआरआई) जो 4% की प्रभावी ब्याज दर पर 3 लाख रुपये तक का ऋण आदि सुनिश्चित करना शामिल हैं। यूनियन बजट 2025–26 में सरकार ने केसीसी के माध्यम से लिए ऋणों के लिए एम आइ एस एस के अंतर्गत ऋण की सीमा को 3 लाख रूपये से बढ़ाकर 5 लाख रूपये करने की घोषणा की है ।

(च): अवसंरचना में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने और ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण खपाने की क्षमता को बढ़ाने के लिए नाबार्ड द्वारा आरआईडीएफ कार्पस का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आबंटन विभिन्न मानदंडों अर्थात् भौगोलिक क्षेत्र, ग्रामीण आबादी, समग्र अवसंरचना विकास सूचकांक, व्युत्क्रम ऋण जमा (सीडी) अनुपात, ग्रामीण ऋण आदि पर आधारित हैं। इसके अतिरिक्त, सीमित आबंटित कोष का समतामूलक वितरण और इष्टतम

उपयोग सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की उधार लेने की क्षमता और पिछली आरआईडीएफ स्वीकृतियों के उपयोग के स्तर को भी ध्यान में रखा जाता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों पर नाबार्ड द्वारा शीघ्र कार्रवाई की जाती है और समय पर धनराशि आवंटित की जाती है।

(छ): नाबार्ड ने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आज की स्थिति के अनुसार 6215 किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) के गठन को बढ़ावा दिया है। प्रोड्यूस और पीओडीएफ के अंतर्गत एफपीओ को प्रदान की जाने वाली प्रमुख सहायता में एफपीओ का गठन, क्षमता निर्माण और ऋण की सुविधा, बाजार संबद्ध सहायता और वित्तीय साक्षरता शामिल हैं। इसके अलावा, नाबार्ड ने छोटे किसानों के कृषि-व्यवसाय संघ (एसएफएसी) और डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क (ओएनडीसी) के साथ साझेदारी में एफपीओ उत्पादों के विपणन और ब्रांडिंग को सक्षम बनाने के लिए एफपीओ / ओएफपीओ के उत्पादों का विपणन और ब्राडिंग करने के लिए 24 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में 50 स्थानों पर एफपीओ मेलों ("तरंग-सेलिब्रेटिंग कलेक्टिवाइज़ेशन") का आयोजन किया है.

अनुबंध I

"नाबार्ड द्वारा अवसंचनात्मक विकास परियोजनाओं के लिए निधियां" के संबंध में दिनांक 4.8.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *202 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

आरआईडीएफ के अंतर्गत आबंटन, स्वीकृति और संवितरण का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा - वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 (करोड़ रु)

राज्य /संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन	स्वीकृत राशि	संवितरण
आंध्र प्रदेश	7,029	7,041	4,700
अरुणाचल प्रदेश	1,341	1,370	1,349
असम	9,161	9,261	7,676
बिहार	6,874	6,806	5,207
छत्तीसगढ़	4,884	4,914	3,658
गोवा	1,734	1,735	1,368
गुजरात	10,742	10,782	9,875
हरियाणा	5,189	5,153	4,538
हिमाचल प्रदेश	2,811	2,844	2,485
जम्मू और कश्मीर	3,695	3,785	2,343
झारखंड	6,396	6,395	5,400
कर्नाटक	6,222	6,234	5,504
केरल	2,175	2,186	1,775
मध्य प्रदेश	11,016	11,004	9,966
महाराष्ट्र	5,678	5,661	5,017
मणिपुर	400	409	400
मेघालय	627	632	633
मिजोरम	658	682	679
नागालैंड	103	100	100
ओडिशा	10,537	10,564	10,746
पुडुचेरी	398	364	243
पंजाब	2,520	2,572	2,223
राजस्थान	7,529	7,603	6,760
सिक्किम	350	345	200
तमिलनाडु	9,677	9,702	9,070
तेलांगना	2,790	2,789	2,974
त्रिपुरा	2,219	2,298	1,700
उत्तर प्रदेश	8,744	8,740	7,908
उत्तराखंड	2,403	2,508	2,158
पश्चिम बंगाल	6,249	6,311	5,938
कुल	**140153**	**140789**	**122595**

***** कुछ राज्यों में संवितरण स्वीकृत राशि से अधिक है क्योंकि इसमें वित्त वर्ष 2022-23 से पहले स्वीकृत परियोजनाएं भी शामिल है

अनुबंध II

"नाबार्ड द्वारा अवसंचनात्मक विकास परियोजनाओं के लिए निधियां" के संबंध में दिनांक 4.8.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *202 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

आरआईडीएफ के अलावा स्वीकृति और संवितरण का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा – वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 (करोड़ रु)

राज्य /संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत राशि	संवितरण
आंध्र प्रदेश	2,431.29	285.02
असम	5,880.76	3,844.21
छत्तीसगढ़	2,152.03	2.02
गोवा	161.06	164.76
गुजरात	4,815.98	2,175.31
हरियाणा	1,906.40	727.79
हिमाचल प्रदेश	5.00	4.06
झारखंड	502.34	502.34
कर्नाटक	1,786.03	4,181.59
केरल	7,389.83	4,284.66
मध्य प्रदेश	678.00	1,543.17
महाराष्ट्र	5,706.56	7,449.09
मणिपुर*	0.00	6.00
मेघालय*	0.00	4.30
मिजोरम	68.92	60.26
ओडिशा*	0.00	1,524.46
पंजाब	3,218.31	844.40
राजस्थान	7,689.93	1,939.55
तमिलनाडु	1,236.85	5,269.75
तेलांगना*	0.00	1,145.39
उत्तर प्रदेश*	0.00	4.15
उत्तराखंड	1,300.59	4.06
पश्चिम बंगाल	687.75	473.00
कुल	**47,617.63**	**36,439.63**

***संवितरण वित्त वर्ष 2022-23 से पहले स्वीकृत राशि के संबंध में किया गया है
